प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः- सीपीएसएसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या...107/2023... दिनांक...........4/5/2023.......
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण 1988(यथा संशोधन 2018), धाराः-7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018)
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः- ------------------------------
   (3) अधिनियम ------------------------------------- धारायेः----------------------------
   (4) अन्य अधिनियम व धारायेः---.
3. (अ) रोजनामचा आम रपटसंख्या ---------84----समय------7:10 PM-----
   (ब) अपराध के घटने का दिनः-बुधवार, दिनांक 03.05.2023 समय 02.50 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 02.05.2023 समय 10.30 ए.एम.
4. सूचना की किस्मः- हस्त-लिखित
5. घटनास्थलः-
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- चौकी से बदिश पश्चिम, बफासला करीबन 160 किलोमीटर दूर
   (ब) पताः- लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस, रेल्वे स्टेशन के सामन अहिंसा सर्किल बाड़मेर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तोः- नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्ताः-
   (अ) नामः- श्री चतराराम
   (ब) पिता का नामः- श्री ईशराराम
   (स) जन्मतिथि/वर्षः- उम्र 42 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयताः- भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्याः--------नहीं---------------- जारी होने की तिथी ------नहीं-----------
   (र) व्यवसायः- नौकरी
   (ल) पताः- रामसर का कुआ, पुलिस थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर, मोबाईल नंबर 9636453069
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहितः-
   श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 31 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 180, हन्वांत ए बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, पावटा बी मार्ग, जोधपुर, हाल बिजनेस डवलपमेन्ट मैनेजर Bancassurance, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्सयोरेन्स बाड़मेर ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः- कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयांः---
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः- ट्रेप राशीः- 20,000/-
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर होतो) ---
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ---

सेवामे

श्रीमान अ.पु.अ.

ACB जालोर

SUB, रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकड़वाने हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषयअन्तर्गत निवेदन है कि मैं चतराराम S/O ईशराराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ बाड़मेर के चचेरा भाई रमेश कुमार S/O मोडाराम जाती जाट की मृत्यु दिनांक 27.09.2022 को रोड ऐक्सिडेन्ट से मृत्यु हो जाने पर रमेश कुमार का SBI Life inurence policy no. 0175096000000 थी। जिसका सालाना 1000 रु. प्रिमियम था। जिसका क्लेम बीस लाख (20,00000) रु. मिलना था। जिसका क्लेम SBI Genreal inurence office मे श्री राजेश कुमार मैनेजर के पास लेके गये, राजेश कुमार SBI Genreal inurence कम्पनी मे मैनेजर है। जिसने क्लेम पास करवाने के लिए मेरे भाई खेमाराम से स्वयं व SBI अधिकारियों के नाम से 1,40,000 रु. रिश्वत की मांग की गई थी . जिससे 25,000 रु. कैस फाईल लगाने के लिए खेमाराम से 13.12.2022 को लिये थे, और 10,000 रु.(दस हजार रु.) स्पोट (घर) वेरिफिकेशन के समय घर पर आकर डिमांड की नहीं देने पर केस को रिजेक्ट करवा दूंगा इस कारण भाई खेमाराम ने उसके phone pe पर 10,000/- रुपये दिनांक 27.01.2023 को phon.no. 8209838833 इस पर भेजा अतः अब 20,00000 रु. (बीस लाख) रु. रिलीज हो चुके है को होल्ड करने की कहकर बाकि की बची हुई राशि 1,05000 रु. (एक लाख पांच हजार रु.) रिश्वत राशी मांग कर रहा है। मै मेरे भाई की पोलीसी के क्लेम बाबत् SBI Genreal inurence company के मैनेजर श्री राजेश कुमार को रिश्वत नहीं देना चहता हूँ उससे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मैनेजर श्री राजेश कुमार के मोबाईल नंबर 734487225 है। मेरे व श्री राजेश कुमार मैनेजर के बीच मे कोई रंजीश नहीं है ना ही कोई रु. पैसो का लेन देन है। अतः महोदय से निवेदन है कि आगे कानूनी कार्यवाही करवाये।

date

02/05/2023

एसडी/-

चतराराम

9636453069

रामसर का कुआ

कार्यवाही-पुलिस

दिनाँक 02.05.2023 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री चतराराम पुत्र श्री ईशराराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी रामसर का कुआ, पुलिस थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर, मोबाईल नंबर 9636453069 ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर मे उपस्थित होकर एक हस्त-लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति मन् डां महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आश्य की प्रस्तुत कि की चचेरा भाई रमेश कुमार S/O मोडाराम जाती जाट की मृत्यु दिनांक 27.09.2022 को रोड ऐक्सिडेन्ट से मृत्यु हो जाने पर रमेश कुमार का SBI Life inurence policy no. 0175096000000 थी। जिसका सालाना 1000 रु. प्रिमियम था। जिसका क्लेम बीस लाख (20,00000) रु. मिलना था। जिसका क्लेम SBI Genreal inurence office मे श्री राजेश कुमार मैनेजर के पास लेके गये, राजेश कुमार SBI Genreal inurence कम्पनी मे मैनेजर है। जिसने

क्लेम पास करवाने के लिए मेरे भाई खेमाराम से स्वयं व SBI अधिकारियों के नाम से 1,40,000 रु. रिश्वत की मांग की गई थी . जिससे 25,000 रु. कैस फाईल लगाने के लिए खेमाराम से 13.12.2022 को लिये थे, और 10,000 रु.(दस हजार रु.) स्पोट (घर) वेरिफिकेशन के समय घर पर आकर डिमांड की नहीं देने पर केस को रिजेक्ट करवा दूंगा इस कारण भाई खेमाराम ने उसके phone pe पर 10,000/- रुपये दिनांक 27.01.2023 को phon.no. 8209838833 इस पर भेजा अतः अब 20,00000 रु. (बीस लाख) रु. रिलीज हो चुके है को होल्ड करने की कहकर बाकि की बची हुई राशि 1,05000 रु. (एक लाख पांच हजार रु.) रिश्वत राशी मांग कर रहा है । मै मेरे भाई की पोलीसी के क्लेम बाबत् SBI Genreal inurence company के मैनेजर श्री राजेश कुमार को रिश्वत नहीं देना चहता हूँ उससे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं । मैनेजर श्री राजेश कुमार के मोबाईल नंबर 734487225 है । मेरे व श्री राजेश कुमार मैनेजर के बीच मे कोई रंजीश नहीं है ना ही कोई रु. पैसो का लेन देन है । अतः महोदय से निवेदन है कि आगे कानूनी कार्यवाही करवाये । प्रस्तुत की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं के हस्तलिखित होना, रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना, रिपोर्ट मे लिखे सभी तथ्य सही होना बताया । परिवादी श्री चतराराम की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन) 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री चतराराम से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया । तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री चतराराम को चलाने की समझाईस की गई । परिवादी श्री चतराराम ने बताया कि श्री राजेश कुमार मैनेजर एसबीआई जनरल इनसयोरेन्स बाड़मेर जो आज मेरे से बाड़मेर मे ही मेरे काकाई भाई स्व. रमेश कुमार के एसबीआई पोलिसी क्लेम के बारे मे व रिश्वती राशि के बारे मे वार्तालाप कर लेगें । परिवादी श्री चतराराम व श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 के आपस मे मोबाईल नंबरो का आदान-प्रदान करवाया गया । श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मय परिवादी श्री चतराराम के रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर बाड़मेर के लिए रवाना किया गया ।

दिनांकः- 02.05.2023 को समय 06.00 पी.एम पर रिश्वती राशी मांग सत्यापन मे गये हुए विक्रमसिंह कानि. नं. 556 ने मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर को जरिये वाट्सअप कालिंग कर बताया कि मन् विक्रमसिंह कानि. मय परिवादी चतराराम मय डिजीटल टेप रिकार्डर के भ्रनिब्यूरो जालोर से निर्देशानुसार रवाना होकर बाड़मेर पहूंचा, परिवादी श्री चतराराम ने संदिग्ध श्री राजेश कुमार मैनेजर से संपर्क किया तो संदिग्ध श्री राजेश कुमार मैनेजर ने परिवादी को चौहटन चौराहा बाड़मेर पर मिलने हेतु कहा, जिस पर मन् कानि. मय परिवादी के रवाना होकर चौहटन चौराहा बाड़मेर के नजदीक पहूंचे तो परिवादी श्री चतराराम ने बताया कि संदिग्ध श्री राजेश कुमार मैनेजर चौहटन चौराहा पर आ रहा है, जिस पर मन् कानि. ने वक्त करीबन 05.15 पी.एम पर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री चतराराम को

सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत राशि संबंधीत वार्तालाप करने हेतु रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी उपस्थित छुपाते हुए उक्त चौराहे के ईर्द-गिर्द मुकिम रहा। करीबन 20-35 मिनट बाद परिवादी श्री चतराराम पुनः मेरे पास उपस्थित आया जिस पर पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा मे लिया। पुछने पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री राजेश कुमार मैनेजर मुझे इसी चौराहे पर मिला जिससे मैने मेरे काकाई भाई के क्लेम संबंधीत वार्तालाप की, वार्तालाप के दौरान श्री राजेश कुमार मैनेजर व मेरे मध्य पोलिसी क्लेम के पैसों को होल्ड नहीं करने की बात पर श्री राजेश कुमार मैनेजर ने सहमति देते हुए 20,000/- रुपये रिश्वत राशि श्री राजेश कुमार मैनेजर द्वारा मांग कर लेना तय हुआ। जिस पर परिवादी व श्री विक्रमसिंह कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई की दिनांक 03.05.2023 को तय शुदा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये लेकर रावतसर-बाडमेर हाईवे रोड पर उपस्थित मिले। तत्पश्चात वक्त 06.30 पी.एम पर दिनांक 03.02.2023 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्रांक 615 दिनांक 02.05.2023 श्रीमान उप-वन संरक्षक जालोर के नाम तहरीर जारी कर गवाह तलबी हेतु श्री आदूराम कानि. नं. 142 को मय तहरीर के वन विभाग कार्यालय जालोर के लिए रवाना जो दो स्वतंत्र गवाह श्री प्रकाश कुमार क्षैत्रिय वन अधिकारी जालोर तथा श्री गुलाब खाँ वनरक्षक कार्यालय वनपाल नाका जालोर के उपस्थित आये। उपरोक्त दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त किया जाकर दिनांक 03.05.2023 को समय 07.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया जाकर गोपनीयता की हिदायत देकर रुक्सत किया गया। तथा ब्यूरो स्टाफ को भी दिनांक 03.05.2023 को समय 07.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 03.05.2023 को वक्त 07.30 ए.एम.पर पूर्व पाबंद सुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश कुमार क्षैत्रिय वन अधिकारी जालोर तथा श्री गुलाब खाँ वनरक्षक कार्यालय वनपाल नाका जालोर एवं ब्यूरो जाब्ता भी उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात वक्त 08.15 ए.एम. पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर मय परिवादी की रिपोर्ट पत्रावली बमय हमरायान स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश कुमार क्षैत्रिय वन अधिकारी जालोर तथा श्री गुलाब खाँ वनरक्षक कार्यालय वनपाल नाका जालोर तथा ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96, श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, आदूराम कानि .नं. 142, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि .नं. 477, श्री जयराम कानि. 83 तथा ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, फिनोफ्थलीन पाउडर की पुडिया, लेपटॉप- प्रिन्टर के जरीये वाहन सरकारी बोलेरो नं. आरजे-14 यूई- 0818 तथा निजी वाहनो से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से बाडमेर की तरफ रवाना हुआ। स्टाफ की कमी होने से कार्यालय हाजा को तालाबंद कर चाबी श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96 को सुपुर्द की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त का रवाना सुदा समय 12.05 पी.एम. सिणधरी-बाडमेर रोड पर स्थित रामसर कुआ के नजदीक पहूंचे जहां हाईवे रोड पर पूर्व पाबंद सुदा श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 मय परिवादी श्री चतराराम के उपस्थित मिले। श्री विक्रमसिंह कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच-ऑफ हालात मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि कल दिनांक 02.05.2023 को निर्देशानुसार परिवादी के साथ बाडमेर पहूंच रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, डिजीटल टेप रिकार्डर मे परिवादी चतराराम व संदिग्ध श्री राजेश कुमार

मैनेजर की रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्तालाप रिकार्ड है, इस संबंध मे कल दिनांक 02.05.2023 को श्रीमान को संपूर्ण हालात अर्ज किये गये थे। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री चतराराम ने श्री विक्रमसिंह कानि. के कथनो की ताईद की। डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर रिवर्स कर सुना गया तो श्री विक्रमसिंह कानि. व परिवादी श्री चतराराम के कथनो की ताईद होते हुए संदिग्ध श्री राजेश कुमार मैनेजर द्वारा रिश्वत राशि की मांग करने से संबंधीत वार्ता रिकार्ड होना व रिश्वत राशि मांग की पुष्टी होना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.05.2023 को समय 12.35 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी के समक्ष हमरा स्वतंत्र गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो गवाहान ने क्रमशः श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री अम्बाराम जाति चौधरी उम्र 36 साल निवासी देबावास पुलिस थाना बिशनगढ जिला जालोर हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी जालोर मोबाईल नंबर 9549414846, श्री गुलाब खाँ पुत्र श्री बगदू खाँ जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष निवासी कोलर पुलिस थाना कोतवाली जालोर हाल वनरक्षक कार्यालय वनपाल नाका जालोर मोबाईल नंबर 9413575700 होना बताया व परिवादी व दोनो गवाहान का परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई तथा पढाई गई, दोनो गवाहान ने रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनो गवाहान को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड वार्तालाप के मुख्याशः को सुनाया गया. दोनो गवाहान ने परिवादी श्री चतराराम से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड सुदा वार्तालाप के संबंध मे पुछताछ कर पूर्ण तसल्ली की। दोनो गवाहान से उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर दोनो ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी श्री चतराराम ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये साथ लेकर आना बताया। जिस पर समय 01.40 पी.एम. पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री चतराराम को संदिग्ध आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर को रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री चतराराम ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के 40 नोट कुल 20,000/- रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये। प्रत्येक नोट के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित करवाये जाकर सभी नोटो को अखबार पर रखवाया जाकर हमरा फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को ट्रेप बॉक्स से निकालकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर श्री गुलाबसिंह कानि. 140 से लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे मे हाजरीन को समझाया गया, विस्तृत विवरण उक्त पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि फर्द मे अंकित किया गया। उपरोक्त फर्दात हमरा लेपटॉप मे मौके पर ही तैयार की जाकर परिवादी के बताये अनुसार नजदीक स्थित उसके घर पर बिजली की व्यवस्था होने से परिवादी के घर पहूंच हमरा प्रिन्टर से प्रिन्ट-आउट निकाला जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई, विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी रिश्वती राशि मे अंकित है। तत्पश्चात समय 02.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन, परिवादी व श्री विक्रमसिंह कानि. मय ब्यूरो जाब्ता, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री, डिजीटल टेप रिकार्डर व लेपटॉप-प्रिन्टर के जरिये सरकारी व निजी वाहनो के रामसर का कुआ से रवाना होकर बाड़मेर कस्बे के निजदीक पहूंचे, परिवादी श्री चतराराम के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के मोबाईल पर लोकेशन ज्ञात करने हेतु

वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध राजेश कुमार मैंनेजर ने परिवादी को रेल्वे स्टेशन बाड़मेर के सामने अंहिसा सर्किल के पास स्थित लवली टी पोईन्ट ज्यूस की दूकान पर बुलाया, जिस पर रवाना होकर अंहिसा सर्किल बाड़मेर के नजदीक पहूंचे, परिवादी श्री चतराराम को कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर लेन-देन के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु हिदायत दी जाकर लवली टी पोईन्ट ज्यूस की दूकान पर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो जाब्ता को आवश्यक हिदायत देकर उपरोक्त दूकान के ईर्द-गिर्द मामूर होकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे व्यवस्त हुआ।

तत्पश्चात समय करीबन 02.50 पी.एम. पर परिवादी श्री चतराराम ने रेल्वे स्टेशन के आगे अहिंसा सर्किल बाड़मेर पर स्थित लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस की दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य जो उक्त दुकान के आस-पास अलग-अलग जगह खड़े हुए है, को देखते हुए रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फैर कर किया, जिस पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत मे आकर रवाना होकर उक्त लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस की दुकान के अन्दर परिवादी श्री चतराराम के पास पहूंचे। पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री चतराराम से प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया। परिवादी श्री चतराराम ने अपने पास खड़े एक व्यक्ति जिसके हाथ मे कुछ 500-500 रुपये के नोट है, कि तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री राजेश कुमार मैंनेजर साहब है जिन्होने मेरे से अभी-अभी मांग कर 20,000/- रुपये प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ मे लिए खड़े है। जिस पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुए तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप-दल के सदस्यों का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 31 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 180, हन्वांत ए बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, पावटा बी मार्ग, जोधपुर, हाल मैंनेजर, स्टेट बैंक ऑप इण्डिया, जनरल इन्सयोरेन्स बाड़मेर, मोबाईल नंबर 7304487225 होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेश कुमार के हाथ मे रखे 500-500 रुपये के नोटों को गवाह श्री प्रकाश कुमार से लिरवाये जाकर नोटो को गिनवाये गये तो 500-500 रुपये के 40 नोट कुल 20,000/- रुपये होना पाया गया। गवाह को हिदायत दी गई कि उक्त नोट सील चिट होने तक संभालकर रखें। तत्पश्चात उक्त दुकान लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस के अन्दर व बाहर लोगो की भीड़-भाड़ होने तथा आम सर्किल होने से वाहनों का आवागमन अधिक होने की वजह से हाथ धोवन की कार्यवाही मे बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टी से हाथ धोवन की कार्यवाही एसीबी कार्यालय बाड़मेर पहूंच करने का निर्णय लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री चतराराम एवं ट्रेपदल के सदस्यगण के आरोपी श्री राजेश कुमार मैंनेजर का दाहिना हाथ श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 व बांया हाथ श्री कालूराम कानि. नं. 477 से कलाईयों के उपर से पकड़वाये जाकर यथा-स्थिति मे वाहन मे बैठाया जाकर रवाना होकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बाड़मेर पहूंचा

। कार्यालय मे उपस्थित श्री मोहम्मद हनीफ हैड.कानि. नंबर 62 को निर्देशित किया जाकर कार्यालय का एक कक्ष खुलवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान बमय आरोपी श्री राजेश कुमार के खोले गये कक्ष मे प्रवेश हुए तथा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित परिवादी श्री चतराराम की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री राजेश कुमार से परिवादी को पहचानने बाबत् पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि यह चतराराम जी है जो इनके काकाई भाई रमेश कुमार जिसकी एक्सीडेन्ट मे वर्ष 2022 मे मृत्यु हो जाने से एसबीआई जनरल इन्सयोरेन्स पॉलिसी का भुगतान प्राप्त हेतु मेरे पास आये थे, इसलिए इनको मै जानता हूँ। परिवादी श्री चतराराम से आज लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस, अहिंसा सर्किल बाड़मेर मे 20,000/- लेने बाबत् पुछा गया तो आरोपी श्री राजेश कुमार ने बताया कि साहब गलती हो गई, मैने ये 20,000/- रुपये अन्य बैंक अधिकारियों के नाम से श्री चतराराम से मैंने स्वयं के लिए ही लिए है, मैने आज श्री चतराराम से 20,000/- रुपये प्राप्त कर मेरे दाहिने हाथ मे लिए ही थे इतने मे आप लोग आ गये। उपस्थित परिवादी श्री चतराराम ने आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे काकाई भाई रमेश कुमार पुत्र श्री मोडाराम जाट निवासी रामसर का कुआ बाड़मेर की दिनांक 27.09.2022 को रोड एक्सीडेन्ट मे मृत्यु हो जाने से रमेश कुमार का एसबीआई लाईफ जनरल इन्सयोरेन्स पॉलिसी नं. 0175096000000 थी, जिसका सालाना 1,000/- रुपये प्रीमियम था जिसका क्लेम 20,00000/- (अक्षरे बीस लाख रुपये) मिलना था। जिसका क्लेम एसबीआई जनरल इन्सयोरेन्स बाड़मेर मे श्री राजेश कुमार मैनेजर के पास लेके गये, श्री राजेश कुमार एसबीआई जनरल इन्सयोरेन्स कम्पनी बाड़मेर मे मैनेजर है जिसने क्लेम पास करवाने के लिए मेरे भाई खेमाराम से स्वयं व एसबीआई अधिकारीयों के नाम से 1,40,000/- (अक्षरे एक लाख चालीस हजार रुपये) की मांग की गई थी, जिससे 25,000/- रुपये केस फाईल लगाने के लिए खेमाराम से दिनांक 13.12.2022 को लिए थे और 10,000/- रुपये पॉलिसी सत्यापन के दौरान हमारे घर पर आकर मांग की, नहीं देने पर केस को खारीज करने का कहा इस कारण खेमाराम ने मजबूरी वश 10,000/- रुपये दिनांक 27.01.2023 को फोन-पे नंबर 8209838833 पर भेज दिए। 20,00,000/- (अक्षरे बीस लाख रुपये) मेरे काकाई भाई स्व. रमेश कुमार की धर्मपत्नि श्रीमति तुलसी देवी के खाते मे जमा हो चुके है। श्री राजेश कुमार मैनेजर ने खाते को होल्ड करने का कहकर बकाया 10,5000/- (अक्षरे एक लाख पांच हजार रुपये) की मांग कर रहा था। जिस पर कल दिनांक 02.05.2023 को तयशुदा रिश्वती राशि 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) आज मेरे से रेल्वे स्टेशन के आगे अहिंसा सर्किल बाड़मेर पर स्थित लवली टी पोईन्ट एण्ड ज्यूस की दुकान के अन्दर श्री राजेश कुमार मैनेजर ने मांग कर प्राप्त कर दाहिने हाथ मे रखे थे, तब मैने दुकान से आपको व ट्रेपपार्टी को देखकर बतायेनुसार गोपनीय ईशारा किया। प्रक्रिया अनुसार हाथ-धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रेप बॉक्स मेसे काँच के दो साफ गिलासों को बाहर निकलवाया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बाड़मेर के कार्यालय से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासों मे पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल मे कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक गिलास के रंगहीन घोल मे

आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात काँच की दूसरी गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री राजेश कुमार के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री प्रकाश कुमार को पूर्व मे सुपुर्द करवाई गई थी, उक्त रिश्वती राशि को पुनः गिनवाया जाकर पूर्व मे तैयार शुदा फर्द पेशकशी दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री गुलाब खाँ को सुपुर्द कर बरामदा रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) के नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो पूर्व मे तैयार शुदा फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहू मिलान होना पाया गया। उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) को एक सफेद कपडे की थैली मे डलवाया जाकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहवीस एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गुलाब खाँ से लिवाई गई तो आरोपी श्री राजेश कुमार के पास एक सेमसंग कम्पनी का पुराना इस्तेमाली मोबाईल पाया गया जिसका अवलोकन किया गया तो परिवादी एवं उनके भाई श्री खेमाराम की आरोपी श्री राजेश कुमार के मध्य उक्त मामले से संबंधीत वाट्सअप चैट पाई गई जिसे पृथक से प्रिन्ट आउट लेकर जरिये फर्द पृथक से शामिल पत्रावली किया जायेगा। परिवादी को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किए गए डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाया गया, पुछने पर परिवादी ने बताया कि शायद टेप रिकार्डर का कोई बटन दब गया होगा जिससे रिकार्डिंग नहीं हो पाई। तत्पश्चात समय 05.35 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्सयोरेन्स बाङमेर के मोबाईल सेमसंग कंपनी का पुराना इस्तेमाली मॉडल गैलेक्सी A21S जिसमे सीम नंबर एयरटेल 7304487225 व जीओ 8209838833 लगी हुई है। उक्त आरोपी के मोबाईल के वाट्सअप चैटींग का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री चतराराम के मोबाईल वाट्सअप नंबर 9636453069 व परिवादी के भाई खेमाराम के मोबाईल वाट्सअप नंबर 9799305428 पर चैटींग होना पाई गई। उपरोक्त सभी वाट्सअप चैटींग का स्क्रिनशॉट लिया जाकर कार्यालय हाजा के लेपटॉप के माध्यम से प्रिन्ट-आउट लिया जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द के संलग्न शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.00 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाश कुमार व श्री गुलाब खाँ, परिवादी श्री चतराराम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93, श्री कालूराम कानि. नं. 477 के जरिये वाहन सरकारी मय चालक श्री जयराम कानि. नं. 83 के

घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु अंहिसा सर्किल बाड़मेर के लिए रवाना हुआ। शेष ब्यूरो जाब्ता को आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर की निगरानी हेतु मामूर किया गया। घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया जाकर रुबरु स्वतंत्र गवाहन के परिवादी श्री चतराराम की निशादेही से फर्द नजरी नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद रवाना होकर मय हमराहीयान भ्रनिब्यूरो बाड़मेर पहूंचा।

तत्पश्चात समय 07.15 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री चतराराम के दिनांक 02.05.2023 को परिवादी व आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को लेपटॉप के माध्यम से दो पेन-ड्राईव मे अपलोड करवाई जाकर एक पेन-ड्राईव को मूल मानते हुए एक कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील चेपा कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी पेन-ड्राईव को डब मानते हुए खुली रखी गई। दिनांक 03.05.2023 को समय 09.30 पी.एम. पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर द्वारा आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 31 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 180, हन्वांत ए बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, पावटा बी मार्ग, जोधपुर, हाल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्सयोरेन्स बाड़मेर को उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत करवाते हुए जुर्म अंतर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर हस्व कायदा जरिए फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया, फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके कहेनुसार उसके दोस्त श्री जसवन्तसिंह को दी गई। तत्पश्चात समय 11.45 पी.एम. पर मन् डां. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे फर्दात के मुताबिक वजह सबूत मालखाना आईटम क्रमशः रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की एक मूल पेन-ड्राईव सील सुदा, एक डब पेन-ड्राईव खुली हालात मे तथा बरामदा रिश्वती राशि 20,000/- रुपये सफेद कपडे की थैली मे सील सुदा मार्क M एवं आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के दाहिने व बांये हाथ के अंगूलियां व अंगूठे का धोवन की सील सुदा शीशीया क्रमशः मार्क आर.एच.1, आर.एच.2 व एल.एच.1, एल.एच.2 मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड.कानि. नं. 96 को सुरक्षित हालात मे सुपुर्द कर बाद वापसी कार्यालय हाजा के मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज कर जमा मालखाना करने की हिदायत देकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया।

अब तक कि संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 31 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 180, हन्वांत ए बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, पावटा बी मार्ग, जोधपुर, हाल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्सयोरेन्स बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री चतराराम से उसके काकाई भाई स्व. रमेश कुमार के एसबीआई जनरल इन्सयोरेन्स का बीस लाख रुपये क्लेम पास किए गए को होल्ड करने का कहकर

दिनांक 02.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान तय राशि 20,000/- रुपये दिनांक 03.05.2023 को परिवादी श्री चतराराम से प्राप्त करते हुए रंगेहाथों पकड़ा जाना, आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के दाहिने व बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी आना एवं रिश्वती राशि 20,000/- रुपये आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के हाथ से बरामद होना तथा आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर के वक्त वाका उपयोग मे लिए गए मोबाईल फोन सेमसंग की वाट्सअप चैटिंग मे परिवादी व आरोपी के मध्य हुई चैटिंग से संबंधीत मैसेज प्राप्त होना आरोपी श्री राजेश कुमार मैनेजर का उपरोक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संधोधन 2018) का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण लाल उम्र 31 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी प्लाट नं. 180, हन्वांत ए बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, पावटा बी मार्ग, जोधपुर, हाल बिजनेस डवलपमेन्ट मैनेजर Bancassurance, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्सायोरेन्स बाड़मेर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 4.5.23
(डां. महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री राजेश कुमार पुत्र नारायण लाल, बिजनेस डवलपमेन्ट मैनेजर Bancassurance, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जनरल इन्शयोरेन्स बाडमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 107/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 814-17 दिनांक 4.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. हैड एचआर एण्ड लर्निंग एण्ड डवलपमैंट, एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 9वीं मंजिल ए एण्ड बी विंग फुलकर्म बिलडिंग शहर रोड़ अंधेरी ईस्ट मुम्बई 400099.
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

4.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।